संख्या-362/2018/16/22-2-2018-17(05)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरूवचन सिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3 (एम-21.12.2017) दिनांक 29.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरूवचन सिंह, जो-मो0 चमकनी बहादुर गंज, थाना-सदर बाजार, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। आपसी झगडे में बन्दी ने दिनांक 26.10.1992 को दिन में समय लगभग 02:00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी स्वर्णकौर और अपने लडके गुरप्रीत उर्फ सोनू की लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/1993, में भा0द0वि0 की धारा-302 एवं 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-4), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 18.02.2003 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा मे परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 15 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि आपसी झगडे में बन्दी ने दिनांक 26.10.1992 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी स्वर्णकौर और लडके गुरप्रीत उर्फ सोनू की लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समिति की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरूवचन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नरेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-37744) पुत्र श्री गुरूवचन सिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-362/2018/16(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-362/2018/16/22-2-2018-17(05)/2018

दिनांक 27 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरूवचन सिंह, जो-मो0 चमकनी बहादुर गंज, थाना-सदर बाजार, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। आपसी झगडे में बन्दी ने दिनांक 26.10.1992 को दिन में समय लगभग 02:00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी स्वर्णकौर और अपने लडके गुरप्रीत उर्फ सोनू की लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/1993, में भा0द0वि0 की धारा-302 एवं 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-4), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 18.02.2003 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा मे परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 15 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि आपसी झगडे में बन्दी ने दिनांक 26.10.1992 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी स्वर्णकौर और लडके गुरप्रीत उर्फ सोनू की लाइसेंसी बन्दूक से गोली मारकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समिति की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरूवचन सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in